न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–45 / 2023

हरिवंश प्रसाद राय वगैरह.....वादीगण

बनाम

बिहार सरकार वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

24.07.23 अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक–06.05.2023 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादी सं0–3 से 6 की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा दिनांक–18.07.2023 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि प्रतिवादीगणों द्वारा वर्तमान वाद की जानकारी होने पर विवादित भूमि को नष्ट करने तथा अंतरण करने पर तुले हुए हैं जिसका संरक्षण होना आवश्यक है। वे विवादित भूमि पर बलपूर्वक संरचना कर निर्माण करने पर तुले हुए है और मुझे सुनने में आया है कि उसका अंतरण वे कर देंगे। वाद को वर्तमान प्रथम दृष्टया वाद एवं सुविधा का संतुलन प्राप्त है। अतः प्रतिवादी को विवादित भूमि के भौतिक स्वरुप बदलने एवं उसे अंतरित करने के कार्य से व्यादेशित करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादीगणों ने अपने कारण–पृच्छा में यह निवेदन किया है कि वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन वादपत्र से अलग विवादित भूमि के निस्बत दाखिल किया गया है। विवादित भूमि, पुराना खेसरा 659, रकवा उन्नीस धूर पूरब सड़क की ओर से ब्रह्मस्थान काली मंदिर हेतु जमीन मालिक द्वारा छोड़ा गया था जिसका नया खेसरा अनाबाद बिहार सरकार के नाम से खेसरा 1995 पॉच धूर एवं 1294 चौदह धूर बना है जिससे किसी व्यक्ति को कोई सरोकार नहीं है। पुराना खेसरा 648, रकवा तीन कट्ठा छः धूर एवं खेसरा 649 पॉच कट्ठा चौदह धूर कुल नौ कट्ठा भूमि एक टुकड़े में है जिसमें से प्रतिवादी के परदादा प्रगास महतो एक कट्ठा पन्द्रह धूर पूरब तरफ से दिनांक–28.05.1959 को बतौर प्रथम केवलदार अर्जित किए और उस समय से खरीदगी भूमि पर उनका निवास मौजूद है जो वादपत्र की कंडिका–6 से स्पष्ट है। विवादित भूमि के अंतरण संबंधी कथन बिल्कुल झूठा और बनावटी है और वादी को वादपत्र के मद सं0–2 की भूमि से कोई सरोकार नहीं है एवं निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी द्वारा वादपत्र के मद सं0–2 की भूमि व अपने हकियत की उद्घोषणा एवं दखल–कब्जा सम्पुष्टि हेतु दाखिल किया गया है जिसमें पुराना सर्वे सं0–648 एवं 649 का रकवा छः धूर, नया खेसरा 1296 रकवा चौदह धूर एवं पुराना खेसरा 650 नया 1494 का साढ़े सात धूर दर्शाया गया है। उस विवादित भूमि की चौहद्दी को देखने से पता चलता है कि विवादित भूमि के उत्तर एवं पूरब प्रतिवादी द्वितीय पक्ष मौजूद है जबकि उनकी किसी चौहद्दी में ब्रह्मस्थान का उल्लेख नहीं है जबकि प्रतिवादी के कथनानुसार पुराना खेसरा 649 के रकवा उन्नीस धूर को ब्रह्मस्थान में दान किया गया था। उभय पक्ष विवादित भूमि के केता हैं जहॉ प्रतिवादी द्वितीय पक्ष उस भूमि के

24.07.23

अंश भाग को विक्रयविलेख दिनांक–28.05.1959 द्वारा खरीद किया जाना बतलाते हैं, वहीं वादी के अभिवचन के अनुसार वादी को वह भूमि दिनांक–04.01.1964 से प्राप्त होना बतलाया है जबकि उनके पूर्व विक्रेता का विक्रयविलेख दिनांक–05.08.1959 है। अतः प्रतिवादी का विक्रयविलेख वादी के विक्रेता के पूर्व विक्रयविलेख से पहले का है और वादी का हित विवादित भूमि पर पश्चात्वर्ती है। अतः विवादित भूमि के संदर्भ में हकियत का दावा किया जाना उपरोक्त परिस्थिति में जहॉ कि दोनों पक्ष ब्रह्मस्थान में मूल भू–स्वामी द्वारा उन्नीस धूर जमीन दिए जाने का समर्थन करते हैं वहॉ वादी को केवल सम्भावना के आधार पर प्रथम दृष्टया वाद व्यादेश के लिए प्राप्त नहीं होता है। सुविधा के संतुलन के संबंध में, चूँकि वाद दखल–कब्जा सम्पुष्टि से संबंधित है। अतः सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है और कब्जे के संदर्भ में किसी प्रकार के अपूर्णीय क्षति की सम्भावना केवल अफवाहों के आधार पर न्यायालय उपधारित नहीं कर सकती है। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त व्यादेश आवेदन तथ्यपरक न पाते हुए खारिज किया जाता है और अभिलेख दिनांक– 18-09-2023

वास्ते प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा लिखित कथन दाखिल किए जाने हेतु नियत किया जाता है।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।